

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 346 / 2014

संस्थापन दिनांक 05.05.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला
भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1-बृम्हानन्द शर्मा पुत्र स्व० रामगोपाल शर्मा निवासी
ग्राम पिपाहड़ी थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25 (1-बी)ए आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 23.03.14 को 20:30 बजे या उसके लगभग ग्राम पिपाहड़ी के सामने नहर की पटरी अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक देशी 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउण्ड 315 बोर का अपने अधिपत्य में रखा।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.14 को ए.एस.आई. राघवेन्द्रसिंह तौमर अ०सा००२ आरक्षक मूलचन्द्र अ०सा००५, आरक्षक संजय वर्मा अ०सा००४, आरक्षक उमेश शर्मा व सैनिक चरनसिंह, आरक्षक चालक अजयपाल के साथ शासकीय वाहन से पिपाहड़ी हेड पर वाहन चैकिंग हेतु गये थे तब चैकिंग के दौरान पिपाहड़ी हेड पर आर०एस०तौमर अ०सा००२ को जर्घे मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पिपाहड़ी के सामने नहर की पटरी पर पिपाहड़ी गांव का आरोपी बृम्हानन्द शर्मा कट्टा लेकर अपराध करने की नीयत से घूम रहा है। सूचना की तत्पश्चात् हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचने पर आरोपी दिखा जिसे टोकने पर आरोपी खेतों की तरफ भागा तब हमराही फोर्स की मदद से आरोपी को घेरकर पकड़ा व तलाशी लेने पर आरोपी की कमर में एक 315बोर का कट्टा मिला कट्टे को खोलकर चैक करने पर कट्टे में राउण्ड लगा मिला। आरोपी से कट्टा व

राउण्ड रखने का लाइसेन्स पूछने पर आरोपी ने न होना बताया। तब साक्षी संजय वर्मा अ0सा04 व मूलचन्द अ0सा05 के समक्ष अभियुक्त बृम्हानन्द से 315बोर का कट्टा व 315बोर का राउण्ड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-2 बनाया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 बनाया। तत्पश्चात मय माल व आरोपी के थाना वापिस आकर थाना गोहद चौराहा में अप0क0 78/14 की एफ. आई.आर. प्र0पी-4 पंजीबद्ध की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोजन स्वीकृति उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.03.14 को 20:30 बजे या उसके लगभग ग्राम पिपाहड़ी के सामने नहर की पटरी अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक देशी 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउण्ड 315 बोर का अपने अधिपत्य में रखा ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. साक्षी राघवेन्द्रसिंह अ0सा02 का कथन है कि वह दिनांक 23.03.14 को थाना गोहद चौराहा में ए.एस.आई. के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को वह फोर्स के साथ पिपाहड़ी हेड पर वाहन चैकिंग कर रहा था दौरान चैकिंग उसे जर्गे मुखबिर सूचना मिली कि पिपाहड़ी हेड गांव के सामने एक व्यक्ति कट्टा लिए घूम रहा है। तब हमराही फोर्स व शासकीय वाहन से वहां पहुंचा तो पिपाहड़ी गांव के सामने आरोपी आता हुआ दिखा। आरोपी को टोका तो आरोपी खेतों की तरफ भागने लगा फिर हमराही फोर्स की मदद से आरोपी को पकड़ा और नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम बृम्हानन्द शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा उम्र 50 साल निवासी पिपाहड़ी का होना बताया तथा आरोपी की तलाशी ली तो आरोपी के बांयी तरफ एक कट्टा 315 बोर का मिला। कट्टे को कब्जे में लेकर उसे खोलकर देखा तो कट्टे में एक राउण्ड लगा मिला तब आरोपी से कट्टा रखने का लाइसेन्स चाहा तो कोई लाइसेन्स न होना बताया तब मौके पर कोई स्वतंत्र व्यक्ति न होने से हमराही आरक्षक मूलचन्द धाकड़ अ0सा05 एवं आरक्षक संजय वर्मा अ0सा04 के समक्ष कट्टे को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-2 बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी बृम्हानन्द को गिरफ्तार कर प्र0पी-2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फिर थाना लौटकर प्र0पी-4 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। असल अप0क0 78/14 पंजीबद्ध किया था तथा वापिसी रोजनामचा सान्हा क्रमांक 974 दिनांक 23.03.14 पर की थी। साक्षी ने न्यायालय में आर्टिकल ए-1 का कट्टा व आर्टिकल ए-2 के कारतूस को देखकर उक्त कट्टा व कारतूस आरोपी से ही जप्त होना बताया।
6. साक्षी संजय वर्मा अ0सा04 का कथन है कि वह दिनांक 23.03.14 को शाम को करीब 8 बजे चैकिंग के लिए ए.एस.आई. आर.एस.तौमर अ0सा02, आरक्षक

मूलचन्द अ0सा05, डाइवर अजयपाल, आरक्षक उमेश, सैनिक चरनसिंह व वह स्वयं वाहन चैकिंग व गश्त के लिए पिपाहड़ी हेड गये थे तो वहां पर दरोगाजी राघु वेन्द्रसिंह तौमर अ0सा02 को मोबाइल से सूचना मिली कि पिपाहड़ी हेड की नहर की पुलिया पर कोई व्यक्ति कट्टा लेकर घूम रहा है। वह लोग बताये स्थान पर पहुंचे तो आरोपी पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा आरोपी को घेरकर पकड़ा तो वह खेतों की तरफ भागा था तथा आरोपी की तलाशी ली तो एक 315बोर का देशी कट्टा कमर में लगाये हुए मिला और पैन्ट की जेब में 315 बोर का राउण्ड मिला तथा पूछने पर लाइसेन्स न होना बताया। मौके पर कट्टे की जप्ती बनायी और आरोपी को गिरफ्तार किया। जप्ती पत्रक प्र0पी-2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

7. मूलचन्द अ0सा05 ने कथन किया है कि वहदिनांक 23.03.14 को थाना गोहद चौराहे में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह आर0एस0तौमर अ0सा01 के साथ प्र0आरक्षक उदयपाल, संजय अ0सा04, उमेश, चरणसिंह, अजयपाल के साथ थाने से रवाना होकर पिपाहड़ी हेड पर चैकिंग के लिए गया था तब मुखबिर से सूचना मिली कि नहर की पटरी पर आरोपी बृम्हानन्द कट्टा लिए अपराध के लिए घूम रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए वह पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचा जहां पुलिस को देखकर एक व्यक्ति खेत पर भागा जिसकी आर0एस0तौमर ने तलाशी ली तो कमर में 315 बोर का कट्टा मिला जो लोडेड था जिसका आरोपी ने लाइसेन्स न होना बताया। मौके पर कट्टा व राउण्ड जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी-2 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 बनाया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिया था।
8. साक्षी राजकिशोरसिंह अ0सा03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 28.03.14 को पुलिस लाईन भिण्ड में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना गोहद चौराहे के अप0क0 78/14 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा एक 315बोर कट्टा व एक 315 बोर का राउण्ड सफेद कपड़े में सिले हुए जांच हेतु प्राप्त हुए उक्त कट्टा की संपूर्ण लंबाई 10 इंच व बैरल की लंबाई 5.5 इंच, ग्रिप की लंबाई 3.5 इंच व बॉडी की लंबाई 3 इंच थी। कट्टे का एक्शन चैक करने पर कट्टा चालू हालत में था तथा कट्टे से फायर किया जा सकता था। एक 315बोर का जिंदा राउण्ड जिसकी पेंदी पर 8एम.एम. के.एफ. अंकित था राउण्ड को फायर किया जा सकता था। उसके द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट जो प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
9. साक्षी योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा01 का कथन है कि वह दिनांक 21.04.14 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स लिपिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक 173 दिनांक 29.03.14 द्वारा थाना गोहद चौराहा के अप0क0 78/14 से संबंधित केस डायरी एवं सीलबंद शस्त्र प्र0आरक्षक 182 मनोज शुक्ला द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अवलोकन पश्चात् जिला दण्डाधिकारी श्री एम.सिबि. चक्रवर्ती द्वारा अभियुक्त बृम्हानन्द के कब्जे से एक कट्टा 315 बोर, मय एक जिंदा राउण्ड 315 बोर का अवैध रूप से पाये जाने के कारण अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की

गयी। उक्त अभियोजन स्वीकृति प्र0पी-1 है जिसके ए से ए भाग पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री एम.सिबि. चक्रवर्ती के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर उसके लघु हस्ताक्षर हैं।

10. राघवेन्द्र अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि घटनास्थल पर कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं था इसलिए पुलिस के समक्ष कार्यवाही की गयी और पैरा 3 में बताया है कि घटनास्थल किसका खेत था उसे नहीं मालूम। अतः घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः मात्र पुलिस साक्षीगण के कथन अभिलेख पर हैं।
11. राघवेन्द्र अ0सा02 ने पैरा 2 में बताया है कि वह थाने से पिपाहड़ी हेड के लिए शाम 5 बजे निकले थे जो थाने से 8 कि0मी0 दूर है और उन्हें पहुंचने में 20 से 30 मिनट लगे थे लेकिन संजय अ0सा04 ने हमराही होते हुए भी पैरा 2 में बताया है कि वह 8 बजे पिपाहड़ी के लिए निकले थे। अतः दोनों ही साक्षीगण ने साथ होते हुए भी थाने से घटनास्थल पर निकलने के लिए अलग-अलग समय बताया है जिसमें तात्विक विरोधाभास है। अतः घटनास्थल पर रवाना होने के संबंध में मौखिक साक्ष्य में पुलिस साक्षीगण ने अलग-अलग तथ्य बताये हैं जिससे महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न होता है।
12. राघवेन्द्र अ0सा02 व संजय अ0सा04 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह किस रोजनामचा सान्हा पर रवानगी दर्ज करके गये थे वह संलग्न नहीं है। अतः घटनास्थल पर रवाना होने का महत्वपूर्ण साक्ष्य का दस्तावेज अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया है जो घटनास्थल पर पुलिस की रवानगी स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण व सुसंगत था। अतः घटनास्थल पर रवाना होने के संबंध में मौखिक साक्ष्य के विरोधाभास के आलोक रोजनामचा अस्तित्व में होने के उपरान्त भी अभियोजन द्वारा पेश न किया जाना अभियोजन मामले के अन्यथा उपधारित करने के लिए पर्याप्त है।
13. राघवेन्द्र अ0सा02 ने पैरा 2 में बताया है कि वह जैसे ही थाने से निकले थे पिपाहड़ी हेड पहुंच गये थे लेकिन संजय अ0सा04 ने पैरा 2 में बताया है कि वह थाने से निकलकर रास्ते में गश्त करते हुए पिपाहड़ी हेड पहुंचे थे। अतः दोनों ही पुलिस साक्षीगण ने अलग-अलग तथ्य बताये हैं।
14. राघवेन्द्र अ0सा02 ने पैरा 6 में बताया है कि जिस स्थान पर आरोपी को गिरफ्तार किया था वहीं पर लिखापट्टी की थी लेकिन संजय अ0सा04 ने पैरा 2 में बताया है कि 100 मीटर दूर गाड़ी खड़ी की थी और फिर आरोपी को राघवेन्द्र के पास लाकर जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की थी। 100 मीटर की दूरी पर्याप्त दूरी है। मूलचन्द अ0सा05 ने भी पैरा 2 में बताया है कि आरोपी को खेत में पकड़ा था लेकिन वहां लिखापट्टी नहीं की और नहर की पटरी पर लाकर लिखापट्टी की थी। अतः मूलचन्द अ0सा05 व संजय अ0सा04 ने राघवेन्द्र अ0सा02 के कथन का खण्डन किया है कि जिस स्थान पर आरोपी को पकड़ा था वहीं पर जप्ती पत्रक प्र0पी-2 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 की कार्यवाही का दस्तावेज विरचित किया था।
15. राघवेन्द्र अ0सा02 ने पैरा 4 में स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी-2 पर नमूना सील नहीं लगी है। संजय अ0सा04 और मूलचन्द अ0सा05 ने पैरा 3 में बताया है कि वह नहीं बता सकते कि जप्ती पत्रक प्र0पी-2 पर नमूना सील लगी है अथवा नहीं। जप्ती पत्रक प्र0पी-2 पर नमूना सील का पद रिक्त है जिसका कोई कारण अभियोजन ने नहीं बताया है। अतः मौके पर आयुध सीलबंद

किए जाने के बाद भी नमूना सील क्यों नहीं लगायी गयी यह स्पष्ट नहीं होता है। राघवेन्द्र अ0सा02 ने पैरा 4 में स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-1 व ए-2 पर किसी साक्षी के हस्ताक्षर या सील नहीं है जिसका स्पष्टीकरण दिया है कि कट्टे की जांच के समय आर्म मोहरर द्वारा सील चिट हटा दी जाती है जबकि राजकिशोर अ0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में यह नहीं बताया है कि कट्टा सीलबंद प्राप्त हुआ था और मुख्यपरीक्षण व प्रतिपरीक्षण में यही बताया है कि कट्टा सिला हुआ प्राप्त हुआ था। अतः जांचकर्ता अधिकारी को कट्टा सीलबंद प्राप्त नहीं हुआ और न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ए-1 व ए-2 में भी सील या हस्ताक्षर संलग्न नहीं है जिससे आयुध मौके पर सीलबंद किया जाना लेशमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अतः आर्टिकल ए-1 व ए-2 ही परीक्षण हेतु भेजा गया तथा आरोपी से जप्त हुआ इस संबंध में अभियोजन साक्षीगण ने विश्वसनीय कथन नहीं किए हैं।

16. राघवेन्द्र अ0सा02 ने पैरा 5 में बताया है कि उसने प्रकरण में 21:30 बजे एफ.आई.आर. लेखबद्ध की थी जिसके बाद डायरी उसने एच.सी.एम. को सुपुर्द कर दी थी। अतः राघवेन्द्र अ0सा02 द्वारा मामले की विवेचना नहीं की गयी। लेकिन संजय अ0सा04 ने पैरा 4 में बताया है कि घटनास्थल पर घटना वाले दिन ही उसके कथन लिए गए थे। मूलचन्द अ0सा05 ने भी पैरा 3 में बताया है कि वह 09:30 बजे थाने पर आ गये थे और पैरा 2 में बताया है कि दिनांक 23.03.14 को 9 बजे उसके कथन लेखबद्ध कर लिए थे। अतः दिनांक 23.03.14 को 21:30 बजे अपराध कायम हुआ है लेकिन साक्षीगण के कथन अपराध कायम करने के पूर्व ही लेखबद्ध किए गए। अतः विवेचना अपराध कायम करने के पूर्व ही प्रारंभ हो गयी थी और पुलिस कथन में अप0क0 78/14 अंकित है जिसका तात्पर्य यह है कि घटनास्थल पर अपराध क्रमांक ज्ञात हो गया था जबकि अपराध क्रमांक 21:30 बजे थाने पर आकर कायम किया गया है। अतः विवेचना की कार्यवाही भी पूर्णरूपेण संदेहास्पद प्रतीत होती है और अपराध कायम करने के पूर्व ही अपराध क्रमांक का उल्लेख कर विवेचना प्रारंभ कर दी गयी थी।

17. राघवेन्द्र अ0सा02 और मूलचन्द अ0सा05 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि आरोपी की कमर से कट्टा मिला था जिसके अंदर राउण्ड लगा हुआ था लेकिन संजय अ0सा04 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि राउण्ड आरोपी की पैंट की जेब में रखा हुआ था। अतः संजय अ0सा04 ने राघवेन्द्र अ0सा02 और मूलचन्द अ0सा05 के विरोधाभासी कथन किया है और राउण्ड कट्टा में लगा होना नहीं बताया है।

18. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से तीनों ही पुलिस साक्षीगण के कथन में एक ही घटना के अलग-अलग तथ्य स्पष्ट हुए हैं और उनके कथन में तात्त्विक विरोधाभास है घटनास्थल पर रवाना होने के समय में अंतर है रवानगी रोजनामचा पेश न किया जाना संदेहास्पद है। थाने से घटनास्थल पर पहुंचने के मध्य की गयी कार्यवाही के संबंध में भी पुलिस साक्षीगण ने अलग-अलग तथ्य बताये हैं। मौके पर राउण्ड कट्टे में था अथवा आरोपी की जेब में था इस संबंध में भी अलग-अलग तथ्य बताये गये हैं। जप्ती पत्रक प्र0पी-2 व गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी-3 के विरचना के स्थान में भी पुलिस साक्षीगण ने अलग-अलग तथ्य बताये हैं। आयुध अकारण सीलबंद किया जाना भी स्पष्टताविहीन रहा है। अपराध की कायमी के पूर्व ही विवेचना प्रारंभ कर अपराध क्रमांक विवेचक को ज्ञात होना विवेचना को संदेहास्पद बनाता है और विवेचना दिखावटी रूप से की जाना

परिलक्षित करता है।

19. अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्य अभियोजन मामले की विश्वसनीयता को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है और यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 23.03.14 को 20:30 बजे या उसके लगभग ग्राम पिपाहड़ी के सामने नहर की पटरी अंतर्गत थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक देशी 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउण्ड 315 बोर का अपने अधिपत्य में रखा।
20. परिणामतः आरोपी को धारा 25 (1-बी)ए आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
21. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
22. प्रकरण में जप्त आयुध अपील अवधि पश्चात निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित किए जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)